

प्रतिलिपि नं० - 9959/10-8-20
तकल - 01-6-13 (आदेश)
शुद्ध - 140 40 20 110 4/8

(2)

न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मेरठ
जुझा प्रार्थना पत्र सं० 17 अन्तर्गत धारा 5 ग जोत चकबन्दी अधिनियम
मुकेश कुमार बनाम सरकार
ग्राम सरधना परगना सरधना तह० सरधना जिला मेरठ

निर्णय

मुकेश कुमार पुत्र फतह सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी सचिव डॉ० के० पी० चौधरी मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी अग्रवाल मण्डी टटीरी बागपत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरधना के आकार पत्र 23 के चक संख्या 297 के गाटा संख्या 1449/2 क्षेत्र 0.5500 हे० पर उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 5 ग के अन्तर्गत आबादी दर्ज करने की प्रार्थना की गयी है।

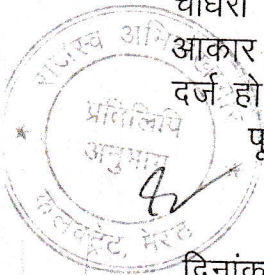
ग्राम सरधना तहसील सरधना जिला मेरठ के आकार पत्र 23 के चक संख्या 297 के गाटा संख्या 1449/2 क्षेत्र 0.5500 हे० पर प्रार्थी बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इस सम्बन्ध में चकबन्दी लेखपाल/सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त की गयी उन्होंने अपनी आख्या में अंकित किया है कि प्रश्नगत गाटे पर आबादी दर्ज किये जाने से चकबन्दी प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पत्रावली पर संलग्न चकबन्दी लेखपाल/सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या एवं खसरा खतौनी की प्रतिलिपियों के अवलोकन के पश्चात मुकेश कुमार पुत्र फतह सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी सचिव डॉ० के० पी० चौधरी मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी अग्रवाल मण्डी टटीरी बागपत को सरधना के आकार पत्र 23 के चक संख्या 297 के गाटा संख्या 1449/2 क्षेत्र 0.5500 हे० पर उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 5 ग के अन्तर्गत आबादी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

मुकेश कुमार पुत्र फतह सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी सचिव डॉ० के० पी० चौधरी मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी अग्रवाल मण्डी टटीरी बागपत के सरधना के आकार पत्र 23 के चक संख्या 297 के गाटा संख्या 1449/2 क्षेत्र 0.5500 हे० पर आबादी दर्ज हो।

पूर्ति उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।



दिनांक

श्रीमान जी
मन्त्र परामर्श
21-2-2014

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
मेरठ।

6.13

राजस्व अभिलेखागार

कलक्ट्रेट, मेरठ

फोटोस्टैट कापी सं० 01
नकलकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक 11.3 AUG 2020
हस्ताक्षर आर०आर०के०
दिनांक

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प शुल्क 13/-
प्रार्थना पत्र का दिनांक 10-8-20
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक
प्रतिलिपि देने का दिनांक 11.3 AUG 2020
निर्णय करने वाले के हस्ताक्षर